

कार्यालय निदेशक, गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र,
काशीपुर (ऊधमसिंह नगर)
निविदा आमंत्रण प्रपत्र
(निविदादाताओं हेतु निर्देश, शर्तें एवं प्रतिबन्ध)

विज्ञापित सं०..... दिनांक मूल्य ₹0- 2000.00+जी0एस0टी0

उद्घोषणा/कार्य का नाम : निदेशक, गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, काशीपुर (ऊधमसिंह नगर के परिसर में स्थित चाहरदीवारी की मरम्मत तथा रंगाई पुताई कार्य, छात्रावास के द्वितीय तल एवं मस्टी का मरम्मत तथा रंगाई पुताई कार्य, पम्प हाऊस एवं विजली कक्ष की मरम्मत एवं रंगाई पुताई कार्य, कार्यालय परिसर के अर्न्तगत प्रशासनिक भवन की छत की मरम्मत तथा वाटर प्रूफिंग कार्य एवं प्रेक्षागृह के दोनो प्रवेश द्वारों पर जाली का दरवाजा लगाना व पिछले हिस्से में जेनरेटर कक्ष का निर्माण कार्य ,

1. मानक प्रपत्र : विभागीय Website- www.sugarcane.uk.gov.in पर निविदा दाताओं के उपयोगार्थ कार्य से संबंधित सामान्य निविदा, शर्तें निविदा प्रपत्र व मात्राकृत दर सूची शर्तों के साथ भी प्रदर्शित की जा रही है।
2. अनुमानित लागत ₹0 : 20.38 लाख
(कन्टीनजेन्सी व G.S.T सहित)
2. निविदा का प्रकार : एकल प्रणाली
3. निविदा लागत G.S.T सहित) ₹0 : 19.88 लाख
4. निविदा प्रतिभूति की धनराशि ₹0 : ₹0 40000.00
4. A जमानत : अनुबन्ध के पूर्व अनुबन्ध लागत का 10 प्रतिशत उत्तराखण्ड अधिपति नियमावली के (नियम 44 के अर्न्तगत) वाणिज्यिक बैंकों से निर्गत अदाता के नाम एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0 अनिवार्यतः 5 प्रतिशत कार्यपूर्ति गारंटी (प्रतिभूति की धनराशि 2 प्रतिशत का समायोजित करते हुए) एवं प्रतिपूर्ति निक्षेप हेतु 5 प्रतिशत को अलग अलग उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसमें 5 प्रतिशत को Retainment Money के रूप में प्रयोग किया जायेगा।
5. कार्य पूरा करने का समय : 1 माह
6. क्षतिपूर्ति प्रतिभूति उत्तराखण्ड अधिपति नियमावली 2017 के नियम 44 खण्ड (2) के अधीन (निर्माण कार्य में ग्लान्ब के लिये संविदा मूल्य का 0.50 प्रतिशत एवं संपादन परन्तु अधिकतम संविदा मूल्य का 10 प्रतिशत वसूला जायेगा)।

7. निविदा की वैधता

30 दिवस


8. ठेकेदार का नाम

(जिसे निविदा फार्म भेजा गया तथा पूरा पता)

9. ठेकेदार की वैध पंजीकृत श्रेणी :

(स्वसत्यापित पंजीयन प्रमाण पत्र की छाया प्रति सहित)

10. निविदा फार्म के साथ कुल संलग्नकों की संख्या :


निविदा फार्म जारी करने वाले अधिकारी
के
हस्ताक्षर व सील

- 1 निविदाओं का मुहरबन्द होना आवश्यक है अन्यथा किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
- 2 निविदा खोलते समय सम्बन्धित ठेकेदार अथवा उसका प्रतिनिधि उपस्थित रह सकता है। निविदादाता की अनुपस्थिति में निविदायें खोलने के बाद किसी प्रकार की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
- 3 निविदा गोपारबन्द लिफाफे में संरक्षित कर प्रस्तुत की जायेगी। निविदादाता द्वारा लिफाफे के ऊपर सहायक निदेशक, गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, काशीपुर लिखा होना एवं विज्ञापन संख्या और कार्य का नाम उल्लेखित होना चाहिये।
- 4 कार्य के किसी भी आइटम की मात्रायें घट/बढ़ सकती है जिसकी दर के सम्बन्ध में ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। यदि किसी आइटम की यूनिट में मिसप्रिंट अथवा स्पेशिफिकेशन में अन्तर स्पष्ट होता है तो केन्द्रीय लो0नि0विभाग की शैड्यूल की यूनिट द अद्यतन विस्तृत स्पेशिफिकेशन मान्य होगी।
- 5 कार्य निर्धारित समय के अन्दर, समय सारणी के अनुसार पूर्ण करना होगा, अन्यथा ठेका रद्द कर तत्समय जमा जमानत की धनराशि (2 प्रतिशत अर्नेस्ट मनी को समिलित कर) निक्षेपित/जब्त कर ली जायेगी। ठेकेदार द्वारा समय वृद्धि की माँग में दिये गये तर्कों का कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियन्ता व अधिशासी अभियन्ता की सहमति व शासन के सत्समय के नियमों के तहत ही समय वृद्धि दी जायेगी। इस विषय पर अनुबन्ध कर्ता अधिकारी का निर्णय, ठेकेदार को स्वीकार होगा।
- 6 समस्त कार्य तथा उसका प्रत्येक आइटम विभागीय नियम निर्देश व स्पेशिफिकेशन के आधार पर सम्पन्न करना होगा। कार्य पूर्ण होने के 24 माह बाद तक कार्य में पायी जाने वाली त्रुटि के लिए ठेकेदार पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। इस अवधि में Retainment Money विभाग में जमा रहेगी। कार्य के अनुबन्ध के बीच यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो अर्बिट्रेटर के रूप निदेशक, गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, काशीपुर (ऊधमसिंह नगर) का निर्णय अन्तिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा।
- 7 यदि ठेकेदार के ऊपर विभाग की कोई धनराशि वाजिब रह जाती है तो उसकी वसूली कानूनी तौर पर राजस्व विभाग के माध्यम से की जायेगी।
- 8 कार्य की अन्तिम माप अंकित किये जाने तक समस्त मैटीरियल की देख-रेख व कार्य की स्टैबिलिटी आदि का पूर्ण उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।
- 9 एक अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार सहायक निदेशक, गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, काशीपुर (ऊधमसिंह नगर) के पास सुरक्षित रहेगा।
- 10 तकनीकी निविदा के साथ 100/रु0 मूल्य का नान ज्यूडीशियल नोटरीकृत शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें निम्न बिन्दुओं का समावेश इस प्रकार आपेक्षित है कि-
 - (1) पूर्व में उसकी पंजीकृत/फर्म को सम्पूर्ण राज्य उत्तराखण्ड व अन्य प्रदेश में किसी भी अधिप्राप्ति कर्ता संस्था द्वारा काली सूची में नहीं रखा गया है।
 - (2) निविदा दाता फर्म/ठेकेदार का निविदा फोटी के किसी सदस्य से कोई सम्बन्ध नहीं है, कार्य प्रस्ताव अथवा सम्पादन के लिए निष्ठाक की ओर से नियुक्त पदाधिकारी से कोई सम्बन्ध नहीं है।
 - (3) निविदा प्रपत्रों के साथ चाहे गये सभी प्रपत्र वेध रूप में प्रस्तुत किये गये हैं किसी तथ्य के असत्य, प्रामाण्य या असामयिक पाये जाने पर निविदा निरस्त करने अथवा निविदा प्रतिभूति जब्त करने का अधिकार सहायक निदेशक, गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, काशीपुर (ऊधमसिंह नगर) में निहित होगा।

(Handwritten Signature)

(4) शपथ पत्र में उद्घाटित तथ्य सत्य और साक्ष्यों के आधार पर सही है।

11. पावर आफ अटार्नी मान्य नहीं होगी।
12. निर्माण कार्य के दौरान किसी भी दुर्घटना व जानमाल के क्षति के लिये विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।
13. स्वप्रमाणित जी०एस०टी० प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
14. सामग्री की मात्राओं के अनुसार सैम्पिल टेस्टिंग राज्य की प्रयोगशालाओं में कराया जायेगा जिसमें आने वाला व्यय ठेकेदारों के बिलों से वसूला जायेगा। यदि ठेकेदार जानबूझ कर किसी सामग्री की क्वालिटी में विवाद पैदा करता है तो उसकी जॉच की फीस भी ठेकेदार के बिल से ही वसूली जायेगी।
15. कार्य की प्रगति के दौरान रनिंग भुगतान अनुबन्ध की धनराशि का 10 प्रतिशत से नीचे की धनराशि का नहीं किया जायेगा। माप पुस्तिका बनने के एक माह के अंदर भुगतान होगा। इस बीच की अवधि में ठेकेदार कार्य बंद नहीं करेगा।
16. विभाग की बिजली व पानी उपयोग करने पर वाजिब बिल की कटौती बिल से की जायेगी।
17. ठेकेदार को यह ध्यान अवश्य रखना होगा कि कार्यालय निदेशक, गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, काशीपुर के कार्य कराये जाने के दौरान किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान पैदा न हों।
18. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के नियम 48 (क) अनुसार न्यूनतम निविदा लागत में विभाग द्वारा तैयार किये गये अनुबन्ध पर ठेकेदार को हस्ताक्षर करने होंगे। (अनुबन्ध प्रपत्र को कार्यालय में देखा जा सकता है)
19. शासनादेश सं० 6447/III(2)/11-20(सा०)/11 दिनांक 2 जनवरी 2013 के अनुसार दी जा रही निविदा लागत विभागीय निविदा लागत से 5 प्रतिशत से भी कम होने पर परफार्मेन्स सिज्योरिटी डिपोजिट करनी होगी।
20. बिलों से नियमानुसार जी०एस०टी०, लेबर सेस, आयकर की कटौती की जायेगी। खनिज मेटैरियल में रायल्टी जमा करने का प्रमाण भी विभाग में उपलब्ध कराना होगा।
21. डाउनलोड निविदा प्रपत्र के मूल्य को निविदा पेट्री में निविदा डालने से एक दिन पूर्व जी तिथि, के बैंक ड्राफ्ट (संयुक्त निदेशक, गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, काशीपुर (ऊधमसिंह नगर के पदनाम का बना हुआ) से अथवा विभाग में नगद जमा उपरान्त रसीद कटवाकर अदा करना होगा।
22. निविदा मूल्य का 2 प्रतिशत धरोहर राशि (एफ०डी०आर०/एन०एस०सी० सहायक निदेशक, गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, काशीपुर (ऊधमसिंह नगर के पदनाम का बना हुआ) के बिना कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। मापदण्डों के पूरा करने वाले निविदा दाताओं की निविदा स्वीकार होने के एक सप्ताह के अन्दर सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म को निविदा लागत का 10 (2 प्रतिशत प्रतिभूति सहित) प्रतिशत जमानत/कार्यपूर्ति प्रतिभूति/धरोहर की धनराशि एन०एस०सी०/ एफ०डी०आर० के रूप में सहायक निदेशक, गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, काशीपुर (ऊधमसिंह नगर के पदनाम से निर्गत हो (जिसमें से 5 प्रतिशत की धनराशि Defect Liability अवधि तक के लिए बैंड हो) प्रस्तुत करनी होगी तभी कार्यादेश दिया जायेगा।
23. निविदा स्वीकार किए जाने के बाद 7 दिन के अन्दर ठेकेदार को कार्यादेश प्राप्त करने हेतु प्रभावी कार्यवाही करनी होगी, अन्यथा 2 प्रतिशत प्रतिभूति की धनराशि जब्त कर निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
24. शासनादेश संख्या 223817/2024/08(200)/XXVII(8)/2023 दिनांक 10.07.2024 के अनुसार जी०एस०टी० सम्बन्धी अदेय प्रमाण पत्र (No Due Certificate) निविदा कथ करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।



25.

विभागान्तर्गत में भवन निर्माण सी श्रेणी या उच्चतर श्रेणी के ठेकेदार जिन्हें भवन कार्य का पूर्व अनुभव हो सम्बन्धी प्रपत्र प्रस्तुत करना होगा।

मैं हम पुत्र श्री निवासी का हूँ/है। मैंने हमने उपरोक्त कार्य से संबंधित निविदा सूचना दिनांक को पढ़ी तथा कार्यस्थल, की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली है। कार्यस्थल की समस्त परिस्थितियों, विभागीय नियम व शर्तों की दृष्टिगत रखते हुए मैं/हम अपनी निविदा प्रस्तुत कर रहा हूँ/कर रहे है तथा उपरोक्त कार्य को संलग्न बिल आफ क्वान्टिटी की दरों से (अंको व शब्दों में) प्रतिशत कम/अधिक पर करने को तैयार हूँ/है।

जमा की गयी अर्नेस्ट मनी का विवरण निम्न प्रकार है-

रुपये

रसीद सं०

दिनांक

बैंक ड्राफ्ट / एफ०डी०आर० सं०

ह० ठेकेदार

(कार्यालय कार्य के लिये)

आज दिनांक में निविदा कमेटी द्वारा निविदा खोली गयी। निविदायें स्वीकृत/अस्वीकृत की गयी।

निविदा स्वीकृत करने वाले अधिकारी के

हस्ताक्षर

निविदा कमेटी, के प्रस्ताव पर निदेशक, गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, काशीपुर (ऊधमसिंह नगर के द्वारा ठेकेदार से अनुबन्ध गठित करने की स्वीकृति दिनांक में प्रदान की गयी।

ह० अध्यक्ष

कार्यालय निदेशक, गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र,
काशीपुर (ऊधमसिंह नगर)
निविदा आमंत्रण प्रपत्र
(निविदादाताओं हेतु निर्देश, शर्तें एवं प्रतिबन्ध)

विज्ञापित सं० दिनांक मूल्य रू०- 1000.00+ जी०एस०टी०

उद्घोषणा/कार्य का नाम : निदेशक, गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, काशीपुर ऊधमसिंह नगर के कार्यालय परिसर में स्थित, छात्रावास के द्वितीय तल, कार्यालय के गार्डन में स्थित गार्डन लाइटों की मरम्मत एवं प्रेक्षागृह गार्डन में विद्युत सम्बन्धित कार्य,

- मानक प्रपत्र : विभागीय Website- www.sugarcane.uk.gov.in पर निविदा दाताओं के उपयोगार्थ कार्य से संबंधित सामान्य निविदा, रू निविदा प्रपत्र व मात्राकृत दर सूची शर्तों के साथ भी प्रदर्शित की जा रही हैं।
- अनुमानित लागत रू० : 04.62 लाख
(कन्टीनजेंसी व G.S.T सहित)
- निविदा का प्रकार : एकल प्रणाली
- निविदा लागत G.S.T सहित) रू० : 4.53 लाख
- निविदा प्रतिभूति की धनराशि रू० : रू० 9100.00
- A जमानत : अनुबन्ध के पूर्व अनुबन्ध लागत का 10 प्रतिशत उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के (नियम 44 के अन्तर्गत) वाणिज्यिक बैंकों से निगल अदाता के नाम एन०एस०सी०/एफ०डी०आर० अनिवार्यतः 5 प्रतिशत कार्यपूर्ति गारंटी (प्रतिभूति की धनराशि 2 प्रतिशत का समायोजित करते हुए) एवं प्रतिपूर्ति निक्षेप हेतु 5 प्रतिशत को अलग अलग उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसमें 5 प्रतिशत को Retainment Money के रूप में प्रयोग किया जायेगा।
- कार्य पूरा करने का समय : 1 माह
- क्षतिपूर्ति प्रतिभूति : उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के नियम 44 खण्ड (ड०) के अधीन (निर्माण कार्य में विलम्ब के लिये सविदा मूल्य का 0.50 प्रतिशत प्रति सप्ताह परन्तु अधिकतम सविदा मूल्य का 10 प्रतिशत वसूल जायेगा)।
- निविदा की वैधता : 30 दिवस




कार का नाम

निविदा फार्म बेचा गया तथा पूरा पता)

केदार की वैध पंजीकृत श्रेणी :

सत्यापित पंजीयन प्रमाण पत्र की छाया प्रति सहित)

निविदा फार्म के साथ कुल संलग्नकों की संख्या :


निविदा फार्म जारी करने वाले अधिकारी
के
हस्ताक्षर व सील

1. निविदाओं का मुहरबन्द होना आवश्यक है अन्यथा किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
2. निविदा खोलते समय सम्बन्धित ठेकेदार अथवा उसका प्रतिनिधि उपस्थित रह सकता है। निविदादाता की अनुपस्थिति में निविदायें खोलने के बाद किसी प्रकार की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
3. निविदा मुहरबन्द लिफाफे में संरक्षित कर प्रस्तुत की जायेगी। निविदादाता द्वारा लिफाफे के ऊपर सहायक निदेशक, गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, काशीपुर लिखा होना एवं विज्ञापन संख्या और कार्य का नाम उल्लेखित होना चाहिये।
4. कार्य के किसी भी आइटम की मात्रायें घट/बढ़ सकती है जिसकी दर के सम्बन्ध में ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। यदि किसी आइटम की यूनिट में मिसप्रिंट अथवा स्पेशिफिकेशन में अन्तर स्पष्ट होता है तो केन्द्रीय लो0नि0विभाग की शैड्यूल की यूनिट व अद्यतन विस्तृत स्पेशिफिकेशन मान्य होगी।
5. कार्य निर्धारित समय के अन्दर, समय सारणी के अनुसार पूर्ण करना होगा, अन्यथा ठेका रद्द कर तत्समय जमा जमानत की धनराशि (2 प्रतिशत अर्नेस्ट मनी को समिलित कर) निक्षेपित/जब्त कर ली जायेगी। ठेकेदार द्वारा समय वृद्धि की माँग में दिये गये तर्कों को कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियन्ता व अधिशासी अभियन्ता की सहमति व शासन के तत्समय के नियमों के तहत ही समय वृद्धि दी जायेगी। इस विषय पर अनुबन्ध कर्ता अधिकारी का निर्णय, ठेकेदार को स्वीकार होगा।
6. समस्त कार्य तथा उसका प्रत्येक आइटम विभागीय नियम निर्देश व स्पेशिफिकेशन के आधार पर सम्पन्न करना होगा। कार्य पूर्ण होने के 24 माह बाद तक कार्य में पायी जाने वाली त्रुटि के लिए ठेकेदार पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। इस अवधि में **Retainment Money** विभाग में जमा रहेगी। कार्य के अनुबन्ध के बीच यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो अर्बीट्रेटर के रूप निदेशक, गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, काशीपुर (ऊधमसिंह नगर) का निर्णय अन्तिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा।
7. यदि ठेकेदार के ऊपर विभाग की कोई धनराशि वाजिब रह जाती है तो उसकी वसूली कानूनी तौर पर राजस्व विभाग के माध्यम से की जायेगी।
8. कार्य की अन्तिम माप अंकित किये जाने तक समस्त मैटीरियल की देख-रेख व कार्य की स्टैविलिटी आदि का पूर्ण उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।
9. एक अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार सहायक निदेशक, गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, काशीपुर (ऊधमसिंह नगर) के पास सुरक्षित रहेगा।
10. तकनीकी निविदा के साथ 100/रु0 मूल्य का नान ज्यूडीशियल नोटरीकृत शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें निम्न बिन्दुओं का समावेश इस प्रकार आपेक्षित है कि:-
 - (1) पूर्व में उसकी पंजीकृत/फर्म को सम्पूर्ण राज्य उत्तराखण्ड व अन्य प्रदेश में किसी भी अधिप्राप्ति कर्ता संस्था द्वारा काली सूची में नहीं रखा गया है।
 - (2) निविदा दाता फर्म/ठेकेदार का निविदा कमेटी के किसी सदस्य से कोई सम्बन्ध नहीं है, कार्य प्रस्ताव अथवा सम्पादन के लिए नियामक की ओर से नियुक्त पदाधिकारी से कोई सम्बन्ध नहीं है।
 - (3) निविदा प्रपत्रों के साथ धाढे गये सभी प्रपत्र वैध रूप में प्रस्तुत किये गये हैं किसी तथ्य के अरात्य, भ्रामक या अरावैधानिक पाये जाने पर निविदा निरस्त करने अथवा निविदा प्रतिभूति जब्त करने का अधिकार सहायक निदेशक, गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, काशीपुर ऊधमसिंह नगर में निहित होगा।

1. पावर आफ अटार्नी मान्य नहीं होगी।

2. कार्य के दौरान किसी भी दुर्घटना व जानमाल के क्षति के लिये विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. स्वप्रमाणित जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

4. सामग्री की मात्राओं के अनुसार सैम्पिल टेस्टिंग राज्य की प्रयोगशालाओं में कराया जायेगा जिसमें आने वाला व्यय ठेकेदारों के बिलों से वसूला जायेगा। यदि ठेकेदार जानबूझ कर किसी सामग्री की क्वालिटी में विवाद पैदा करता है तो उसकी जाँच की फीस भी ठेकेदार के बिल से ही वसूली जायेगी।

5. कार्य की प्रगति के दौरान रनिंग भुगतान अनुबन्ध की धनराशि का 10 प्रतिशत से नीचे की धनराशि का नहीं किया जायेगा। माप पुस्तिका बनने के एक माह के अंदर भुगतान होगा। इस बीच की अवधि में ठेकेदार कार्य बंद नहीं करेगा।

6. विभाग की बिजली व पानी उपयोग करने पर वाजिब बिल की कटौती बिल से की जायेगी। ठेकेदार को यह ध्यान अवश्य रखना होगा कि कार्यालय निदेशक, गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, काशीपुर के कार्य कराये जाने के दौरान किसी भी प्रकार का कोई व्ययधान पैदा न हों।

7. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के नियम 48 (क) अनुसार न्यूनतम निविदा लागत में विभाग द्वारा तैयार किये गये अनुबन्ध पर ठेकेदार को हस्ताक्षर करने होंगे। (अनुबन्ध प्रपत्र को कार्यालय में देखा जा सकता है)

8. शासनादेश सं० 6447/III(2)/11-20(सा0)/11 दिनांक 2 जनवरी 2013 के अनुसार दी जा रही निविदा लागत विभागीय निविदा लागत से 5 प्रतिशत से भी कम होने पर परफारमेन्स सिक्योरिटी डिजिट करनी होगी।

9. बिलों से नियमानुसार जी0एस0टी0, लेबर सेस, आयकर की कटौती की जायेगी। खनिज न्टेरियल में रायल्टी जमा करने का प्रमाण भी विभाग में उपलब्ध कराना होगा।

10. डाउनलोड निविदा प्रपत्र के मूल्य को निविदा पेटी में निविदा डालने से एक दिन पूर्व की तिथि, के बैंक ड्राफ्ट (संयुक्त निदेशक, गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, काशीपुर ऊधमसिंह नगर के पदनाम का बना हुआ) से अथवा विभाग में नगद जमा उपरान्त रसीद कटवाकर अदा करना होगा।

11. निविदा मूल्य का 2 प्रतिशत घरोहर राशि (एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 सहायक निदेशक, गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, काशीपुर (ऊधमसिंह नगर के पदनाम का बना हुआ) के बिना कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। मापदण्डों के पूरा करने वाले निविदा दाताओं की निविदा स्वीकार होने के एक सप्ताह के अन्दर सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म को निविदा लागत का 10 (2 प्रतिशत प्रतिभूति सहित) प्रतिशत जमानत/कार्यपूति प्रतिभूति/घरोहर की धनराशि एन0एस0सी0/ एफ0डी0आर0 के रूप में सहायक निदेशक, गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, काशीपुर (ऊधमसिंह नगर के पदनाम से निर्गत हो जिसमें से 5 प्रतिशत की धनराशि Defect liability अवधि तक के लिए वैध हो) प्रस्तुत करनी होगी तभी कार्यदेश दिया जायेगा।

12. निविदा स्वीकार किए जाने के बाद 7 दिन के अन्दर ठेकेदार को कार्यदेश प्राप्त करने हेतु प्रमादी कार्यवाही करनी होगी, अन्यथा 2 प्रतिशत प्रतिभूति की धनराशि जब्त कर निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

13. शासनादेश संख्या: 223817/2024/08(200)/XXVII(8)/2023 दिनांक 10.07.2024 के अनुसार जी0एस0टी0 सम्बन्धी अदेय प्रमाण पत्र (No Due Certificate) निविदा कब करत समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

14. राज्यअर्न्तगत किसी राजकीय विभाग में भवन निर्माण (विद्युत कार्य) सी श्रेणी या उच्चतर श्रेणी के ठेकेदार जिन्हें भवन निर्माण (विद्युत कार्य) का पूर्व अनुभव हो सम्बन्धी प्रपत्र प्रस्तुत करना होगा।



मै हम पुत्र श्री निवासी
का हूँ/है। मैने हमने उपरोक्त कार्य से संबंधित निविदा सूचना दिनांक को पढ़ी तथा
की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली है। कार्यस्थल की समस्त परिस्थितियों, विभागीय नियम व शर्तों की
दृष्टिगत रखते हुए मै/हम अपनी निविदा प्रस्तुत कर रहा हूँ/कर रहे है तथा उपरोक्त कार्य को संलग्न बिल आफ
क्वॉन्टिटी की दरों से (अंको व शब्दों में) प्रतिशत कम/अधिक पर
करने को तैयार हूँ/है।

जमा की गयी अर्नेस्ट मनी का विवरण निम्न प्रकार है-

रूपये
रसीद सं० दिनांक
बैंक ड्राफ्ट / एफ०डी०आर० सं०

ह० ठेकेदार

(कार्यालय कार्य के लिये)

आज दिनांक में निविदा कमेटी द्वारा निविदा खोली गयी। निविदायें
स्वीकृत / अस्वीकृत की गयी।

निविदा स्वीकृत करने वाले अधिकारी के
हस्ताक्षर

निविदा कमेटी, के प्रस्ताव पर निदेशक, गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, काशीपुर (ऊधमसिंह
नगर के द्वारा ठेकेदार से
प्रदान की गयी।
अनुबन्ध गठित करने की स्वीकृति दिनांक में

ह० अध्यक्ष